इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 240]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 मई 2013—ज्येष्ठ 8, शक 1935

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 29 मई 2013

क्र. एफ-3-135-2011-बत्तीस.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त-सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत भेड़ाघाट निवेश क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना, 2021 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है. अत: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से दिनांक 29 मई 2013 को प्रकाशित किया जा रहा है. उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptownplan.nic.in पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय में अवकाश के दिन को छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा:—

(1) अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, कक्ष क्रमांक 302 बी, तृतीय तल, मंत्रालय, भोपाल.

(2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, सिविक सेन्टर द्वितीय तल, जबलपुर.

2. प्रारूप विकास योजना भेड़ाघाट, 2021 की पुस्तिका में सारणी 2—सा—3, सारणी 2 सा—5, सारणी 3 सा—1, कंडिका 3.4.1, कंडिका 3.7, सारणी 3 सा—4, कंडिका 5.5, मानचित्र में त्रुटि सुधार, कंडिका 6.3 में टंकन त्रुटियां ठीक की जाना प्रस्तावित है.

3. उपांतरण का विवरण—

(क) विकास योजना की कंडिका 3.3 को विलोपित कर नवीन कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

(ख) कंडिका 5.5.3 के बाद नई कंडिका 5.5.4 जोड़ा जाना प्रस्तावित है.

(ग) कंडिका 5.6.3 में उपांतरण किया जाना प्रस्तावित है.

(घ) विकास योजना मानचित्र में ग्राम डूडवारा में पर्यटक ग्राम का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना तथा ग्राम बिल्हा में प्रस्तावित वाणिज्यिक स्थल पर सघन वन होने के कारण हरितक्षेत्र किया जाना प्रस्तावित है.

(च) कंडिका 5.6.6 को विलोपित कर नवीन कंडिका प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

(छ) कंडिका 5.6.7 तथा 5.6.1 में विवरण जोड़ा जाना प्रस्तावित है.

(ज) प्रारूप विकास योजना, 2021 के अध्याय—7 के स्थान पर नया अध्याय—7 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

प्रस्ताव का विस्तृत विवरण www.mptownplan.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है.

उक्त उपांतरण के संबंध में यदि कोई आपत्ति/सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण, मंत्रालय, भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं. समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया जा सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.